भारत में बाल श्रम : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 सूर्यभान रावत*

सामान्य तौर पर किसी उद्योग खान, कारखाने, होटल, ढाबे आदि में कार्य करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। अपना नन्हा सा पेट भरने के लिए विभिन्न यातनाओं से गुजरने वाले बच्चों का बचपन कब बीत जाता है ये यह जान भी नहीं पाते। जीवन की निराशा असमय ही इन नन्हों को सयाना बना देती है, खेलने, कूदने पढ़ने का समय इनके लिए एक सपना सा बन जाता है। इस समय में इन्हें मिलता है कर्कश स्वर और डांट–फटकार।

बाल मजदूरी के खिलाफ कानून बन जाने के बावजूद आज भी ढाबों, चाय की दुकानों व संभ्रात घरों में बच्चों को मजदूरी करते देखना कोई दुलर्भ दृश्य नहीं है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जितने बाल मजदूर पूरे देश भर में छुड़ाये गए उनका एक बड़ा हिस्सा देश की राजधानी दिल्ली से छुड़ाये गये बाल मजदूरों का है। छुड़ाये गये बच्चों के सामने कई बार विचित्र स्थिति यह होती है कि वे खुलकर अपनी आजादी का जश्न तक नहीं मना पाते। बाल मजदूरों की मुक्ति के कार्य में लगे स्वयं सेवी संगठनों में बचपन बचाओं आन्दोलन, प्रयास, सेव दी चाइल्ड जैसी स्वयं सेवी संस्थाए सक्रिय हैं।

भारत में आज भी विभिन्न उद्योगों में बच्चों द्वारा काम लिया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नौकरी पर रखना अपराध घोषित कर दिया है। विभिन्न खतरनाक रसायनों पर नंगे हाथों से ये बालक काम करते हैं। 15 से 18 घंटे तक भी इन बालकों से काम लिया जाता है। विभिन्न स्थानों जैसे बस अड्डों, ढाबों, होटलों आदि पर इन बालकों को काम करते देखा जा सकता है। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रमिक वर्ग का लगभग 20 प्रतिशत योगदान है जिसमें 7 प्रतिशत योगदान बाल श्रमिकों का है। विश्व के सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में हैं सरकारी आंकड़ा इनकी संख्या 2 करोड़ बताता है लेकिन अनुमानतः इस समय भारत में 12 करोड़ बाल श्रमिक है जिनका अधिकांश भाग खतरनाक उद्योगों पर लगा है जैसे आतिशबाजी, माचिस, चूड़ी उद्योग, पत्थर, सिलाई, कोयले की खानों आदि में काफी मात्रा में बाल श्रमिक लगे हैं।

भारत में बाल श्रम के प्रमुख कारणों में गरीबी, (40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है) अति आबादी (प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ आबादी का बढ़ना) सस्ता श्रम, अशिक्षा, कानून का लचीलापन, सरकारी प्रयासों की लापरवाही आदि है। देश के विभिन्न राज्यों बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, में बाल श्रमिकों की अच्छी संख्या है। इन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में बाल श्रम देश की राजधानी सहित विभिन्न महानगरों व कारखानों में पाया जाता है। गैर कानूनी तरीके से संचालित होने वाले विभिन्न गिरोह बाल मजदूरों के भंयकर शोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

बाल श्रम बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को अवरूद्ध करता है जिससे उनमें अनेकों तरह की बीमारियों का जन्म होता है बढ़ती संख्या औसत आयु को भी घटाती है क्योंकि इन्हें सन्तुलित भोजन नहीं मिल पाता जिससे इनका स्वास्थ्य स्तर गिर जाता है।

दुनिया के सभी देशों में एक बड़ी आबादी बाल मजदूरों की है। दुनिया में बाल मजदूरी की समस्या से लड़ने वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि बाल मजदूरों की संख्या में पिछले चार साल में 11 प्रतिशत की गिरावट आयी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की हालिया रिपोर्ट ''द एण्ड ऑफ चाइल्ड लेबर : विद इन रीच (The end of child labour : Within Reach) में उक्त रिपोर्ट जारी की गयी वर्ष 2000 से पूर्व दुनिया भर में बाल मजदूरों की संख्या 24 करोड़ 60 लाख थी जो 2004 तक 21 करोड़ 80 लाख रह गयी। इस तरह चार साल में 11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। बाल मजदूरों के लिहाज से पूर्वांचल के मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और इलाहाबाद जिलों का सूरतेहाल यह है कि बीते 10 सालों में हजार से अधिक बाल मजदूर अकेले मिर्जापुर भदोही से मुक्त कराये गये।

* वरिष्ठ प्राध्यापक, समाजशास्त्र, किसान पी0जी0कालेज बहराइच (उ0प्र0)

जिनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के मध्य सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रम राज्यमंत्री मुनिलाल ने कहा कि ''बाल श्रम उन्मूलन के प्रति भारत सरकार की गम्भीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने इस मद के लिए आवंटित राशि का नवीं योजना के 5 करोड़ डालर को बढ़ाकर दसवीं योजना के 10 करोड़ डालर कर दिया। उन्होनें इस गरीबी और साक्षरता से जोड़ा। गरीबी और अशिक्षा को उन्मूलित कर ही हम बाल श्रम को देश एवं समाज से समाप्त कर पायेंगें।'' जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन शिक्षा का प्रसार, कठोर कानूनों का निर्माण तथा सरकारी मशीनरी का बेहतर क्रियान्वयन भारत में बाल श्रम को समाप्त करने में सहायक होगा।

बाल श्रमिकों का जीवन बड़ा ही कष्टदायक होता है। आज सरकार को ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे बाल श्रमिकों की समस्या धीरे–धीरे समाप्त होने के साथ उनकी स्थिति में सुधार हो। समाज के हर वर्ग को चाहिए कि वह इस कार्य में सरकार का सहयोग करें जिससे इन मासूम बच्चों को वयस्कों जैसा जीवन जीने के लिए बाध्य न होना पड़े।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. पी0आर0एन0 सिन्हा एवं इन्दुबाला : श्रम एवं समाज कल्याण, भारतीय भवन (P&D) पटना, 2000
2. आर0एन0 मुखर्जी एवं भरत अग्रवाल : सामाजिक समस्यायें, विवेक प्रकाशन नई दिल्ली, 2003
3. गहरी नजर – ''बाल व बंधुवा मजदूर आजादी के बाद, हिन्दुस्तान समाचार पत्र, लखनऊ 12 नवम्बर, 2007''
4. एस0एल0 दोषी एवं पी0सी0 जैन : भारतीय समाज– संरचना एवं परिवर्तन, नेशनल पब्लिसिंग हाउस जयपुर, नई दिल्ली, 2007